तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-06-2019	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम– उनरोड़, पटवार हल्का झणकली, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 143 अवस्थित है। जिसका प्रार्थी दोसु खां, कोजा खां, सजन खां अपने हिस्से की अलग से तरमीम हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया व प्रार्थी संख्या 10 नरेन्द्र कंवर ने उक्त खेत मे से जमीन खरीदी है जिसकी भी अलग से तरमीम करने का निवेदन किया है, तब हल्का पटवारी द्वार मौके का निरीक्षण किये बिना भी खेत खसरा नम्बर 143 जो की खेत खसरा नम्बर 395/315, 394/315 व 315/143 के दक्षिण मे है उस खेत को उतर में कर दिया गया तथा प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थी संख्या 10 के कब्जा काश्त के खेत को लटठा ट्रेस में दक्षिण मे कर दिया गया है जो परिशिष्ट ब के अनुसार दर्शाया गया है व गलत है प्रार्थीगण का वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त व नामान्तरकण फर्द के पिछे मौजूदा तरमीम परिशिष्ट अ के अनुसार है। इसलिए प्रार्थीगण के खेत की पूर्व मे की गई गलत तरमीम को निरस्त कर परिशिष्ट अ के अनुसार कब्जा काश्त व नामान्तकरण फर्द के पीछे मौजूदा तरमीम के अनुसार की जावें। तहसीलदार गडरारोड़ ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि पटवार मण्डल झण्कली के राजस्व ग्राम उनरोड के खसरा नम्बर 394/315, 395/315, 143 व 315/143 रकबा क्रमशः 43.05, 12.12, 108, व 43.04 बीघा का राजस्व रेकर्ड व मौके का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया की उक्त खसरो की तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे कब्जा काश्त ढाणियां व ट्युबवेल के अनुसार नही है नक्शा लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम कब्जा काश्त व नामान्तकरण फर्द के पीछे मौजुद तरमीम से भीन्न पाई गई है। जवाब के संलग्न मौजूदा नक्शा लट्ठा ट्रेस की तरमीम परिशिष्ट ब के अनुसार सही नही है, प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त ढाणियों, ट्युबवेल नामान्तरकण फर्द के पीछे तरमीम दर्शाई गई है उसी अनुसार प्रार्थीगण के खेत की तरमीम जवाब के साथ पेश परिशिष्ट अ के अनुसार है। जिसे सही किया जाना उचित है। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार गडरारोड़ ने अपने जबाव मे प्रार्थी के खेत की तरमीम को दुरूस्त किये जाने मे अनापति जाहिर की है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा विप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी के खेत की तरमीम को सही किया जाना उचित है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उनरोड़ के, खेत खसरा नम्बर 394/315, 395/315, 143 व 315/143 रकबा क्रमशः 43.05, 12.12, 108 व 43.04 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार गडरारोड़ के जवाब के पेश नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार की जाती है। जवाब के साथ पेश परिशिष्ट अ आवेदन का अभिन्न अंग रहेगा। इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम शुद्वी करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested